महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

प.07()मगंसिविबी/विद्या परिषद्-21/2022/ 331 दिनांक : 19|09|2022

समस्त, माननीय सदस्य
विद्या परिषद्,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय :- विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 14-09-2022 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 14-09-2022 का कार्यवाही विवरण का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कार्यवाही विवरण में अंकित निर्णयों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में प्रस्तुत करने की कृपा करावें।
संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(यशपाल आहूजा)
कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 .2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 21 वीं बैठक दिनांक 14-09-2022 को प्रातः 11:30 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. विनोद कुमार सिंह, माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2	डॉ. जी.पी. सिंह, संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
3	डॉ. भगवानाराम विश्नोई, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
4	डॉ. मीनू पूनियां, संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य (ऑनलाइन)
5	डॉ. मिनाक्षी मिश्रा, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य (ऑनलाइन)
6	डॉ. बी.एस. रतन, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान	सदस्य
7	डॉ. एच.आर. नियाजी राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन)
8	डॉ. बी. एल. विश्नोई, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
9	प्रो. राजाराम चोयल, माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित	सदस्य
10	डॉ. शेर मोहम्मद, संयोजक-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
11	डॉ. विजय श्री, संयोजक - रसायनशास्त्र	सदस्य
12	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक-कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
13	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, संयोजक-पर्यावरण विज्ञाप	सदस्य
14	डॉ. देवेश खण्डेलवाल, संयोजक-भूगर्भ विज्ञान	सदस्य
15	डॉ. विमल कुमार गौड, संयोजक-गणित	सदस्य
16	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी, संयोजक-सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
17	डॉ. एम.डी. शर्मा, संयोजक-भौतिक विज्ञान	सदस्य
18	श्री संतलाल, संयोजक-प्राणीशास्त्र	सदस्य
19	डॉ. सीमा शर्मा, संयोजक-अंग्रेजी	सदस्य
20	डॉ. शालिनी मूलचंदानी, संयोजक-हिन्दी	
21	डॉ. नन्दिता सिंघवी, संयोजक -संस्कृत	सदस्य
22	डॉ. सुमित्रा चारण, संयोजक-दर्शनशास्त्र	सदस्य
23	डॉ. नरेन्द्र नाथ, संयोजक-राजनीति विज्ञान	सदस्य

24	डॉ. राजेश भाकर, संयोजक-भूगोल	सदस्य
25	डॉ. ज्योति कपूर, संयोजक-अर्थशास्त्र	सदस्य
26	डॉ. इन्द्रा गोस्वामी, संयोजक-गृह विज्ञान	सदस्य
27	डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित - संयोजक-चित्रकला	सदस्य
28	डॉ. साधना भण्डारी, संयोजक-लोक प्रशासन	सदस्य
29	डॉ. अम्बिका ढाका, संयोजक- इतिहास	सदस्य (ऑनलाइन)
30	डॉ. डी.एस. पूनिया, संयोजक-ए.बी.एस.टी.	सदस्य
31	डॉ. पंकज जैन, संयोजक- व्यवसायिक प्रशासन	सदस्य
32	डॉ. आशा शर्मा, संयोजक- ई.ए.एफ.एम.	सदस्य (ऑनलाइन)
33	डॉ. अनन्त जोशी, संयोजक विधि	सदस्य
34	डॉ. सतपाल स्वामी, संयोजक-शिक्षा	सदस्य
35	डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक-शारीरिक शिक्षा	सदस्य
36	श्रीमती आस्मा मसूद, संयोजक-उर्दू	सदस्य
37	डॉ. ऋषभ जैन, संयोजक-संगीता	सदस्य
38	डॉ. सपना त्यागी	सदस्य
39	श्रीमती धनवन्तरी बिश्नोई-संयोजक-जी.पी.ई.एम.	सदस्य
40	श्री उमेश शर्मा, संयोजक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	सदस्य
41	डॉ. धर्मेश हरवानी ,कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य
42	श्री यशपाल आहूजा, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्या परिषद् बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार मद प्रस्तुत किये गए जिन पर सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

मद संख्या	मद
01	दिनांक 22–11–2021 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की 20वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। (पृष्ठ संख्या : 01–21) **परिशिष्ट–1**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
02	दिनांक 22–11–2021 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की 20वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। (पृष्ठ संख्या : 22–72) **परिशिष्ट–2**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**

03	दिनांक 05–04–2022 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–3** (पृष्ठ संख्या : 73–75)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
04	दिनांक 05–04–2022 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–4** (पृष्ठ संख्या : 76–80)
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**
05	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा संकायाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति की गई। आदेश 17155 दिनांक 02–12–2021 एवं 21935 दिनांक 19–01–2022 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट–5** (पृष्ठ संख्या : 81–82)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
06	विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम 2022–23 के अनुमोदन का प्रस्ताव :– परिशिष्ट–6 (पृष्ठ संख्या 83–130)
निर्णय	**पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा अध्ययन बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत अनुशंसा को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की। तत्पश्चात् विद्या परिषद् द्वारा अध्ययन बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत अनुशंसानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया। पाठ्यक्रम के अनुमोदन में सत्र 2022-23 से अध्ययन बोर्ड की अनुशंसानुसार स्नातकोत्तर स्तर विज्ञान, विधि एवं शिक्षा संकाय में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।**
07	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश–नीति 2022–23 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–7 (पृष्ठ संख्या : 131)
निर्णय	**शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की प्रवेश-नीति 2022-23 को अंगीकृत किया गया। जिन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियम है, उनमें विश्वविद्यालय के नियम तथा शेष के लिए राज्य सरकार की प्रवेश नीति के नियम प्रभावी होगे।**
08	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021–22 में 27 नवीन महाविद्यालयों (सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–8 (पृष्ठ संख्या : 132)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**

09	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित M.Sc. Computer Science (Lateral Entry and M.Sc. in Yoga Studies and Theraphy Management का सत्र 2021–22 में सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार परीक्षा शुल्क निर्धारण हेतु जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8518 दिनांक 16–06–2022 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–9 (पृष्ठ संख्या : 133)
निर्णय	**पुष्टि की गई। साथ ही विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा 2023 से परीक्षा शुल्क में राशि रू. 100/- अभिवृद्धि करने की अनुशंसा की गई।**
10	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा 2020 में मां सरस्वती महाविद्यालय, जैतसर जिला–श्रीगंगानगर के अंतिम वर्ष के 43 विद्यार्थियों की एलीमेट्री कम्प्यूटर विषय (ड्यू) की ओ.एम.आर. शीट काफी खोजबीन उपरान्त भी प्राप्त नही होने के कारण विश्वविद्यालय अध्यादेश O.169 G(1) के प्रावधानुसार 43 परीक्षार्थियों के अनिवार्य विषयों के प्राप्तांको के औसत अंक के आधार पर अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम जारी किये गए। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 10 (पृष्ठ संख्या : 134–136)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
11	आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शहीदों के प्रवेशित आश्रितों को विश्वविद्यालय में निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। परिशिष्ट : 11 (पृष्ठ संख्या : 137)
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**
12	शैक्षणिक सत्र 2020–21 की नैक को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (AQAR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट : 12
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**
13	प्रतिवेदित किया जाता है कि छात्रा मोनिका पूनिया पुत्री श्री अजित कुमार, बी. एड. द्वितीय वर्ष परीक्षा–2019 में बी.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में बायोलॉजी विषय में पुनरावर्ती होने के कारण विश्वविद्यालय अध्यादेश 169एच(2) के प्रावधानानुसार छात्रा को जारी उपाधि निरस्त की गई तथा सही विषय का चयन कर पुनः परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने की अनुमति माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से प्रदान की गई। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 13
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
14	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में संचालित सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय में सत्र 2021–22 में आवंटित सीटों में अभिवृद्धि करते हुए 20 के स्थान पर 30 की गई। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 14

निर्णय	पुष्टि की गई।
15	विद्या परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 29-06-2020 के विनिर्णय संख्या 11 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 7487 दिनांक 17-07-2020 के द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से नवीन स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने पर महाविद्यालय को प्रथम बार प्रायोगिक विषय के लिए 20 एवं नॉन प्रायोगिक विषय के लिए 40 सीटे निर्धारित की गई। कालान्तर में एक वर्ग की शेष सीटे क्रमशः 10 एवं 20 की स्वीकृति से पूर्व महाविद्यालय का निरीक्षण कराया जाएगा जिसके लिए निरीक्षण शुल्क महाविद्यालय द्वारा देय होगा, तथापि सम्बद्धता शुल्क देय नही होगा। प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, राजस्थान बीकानेर द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक विषय में 40 एवं गैर प्रायोगिक विषय में 60 सीटे आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही एसोसिएशन द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा एम.ए. गृहविज्ञान में जारी नवीन सम्बद्धता हेतु जारी पत्र संलग्न किया है। प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 15
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वर्ग/सीट आवंटन के संबंध में समस्त संकायाध्यक्षों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति को आदेश जारी होने के सात दिवस में अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिस पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**
16	कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 04.11.2019 के निर्णयानुसार एवं सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक प.1(4)(16)आरबी/2018/9153 दिनांक 03.12.2019 के क्रम मे माननीय कुलपति महोदय की पत्रावली पर प्रदत्त आज्ञा दिनांक 09.12.2019 की पालना मे विश्वविद्यालय में पर्यावरण विषय पर **'सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स'** की स्थापना की गयी है जिसका संचालन पर्यावरण विज्ञान विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा किया जाएगा। उक्त सेन्टर का **'विजन डॉक्यूमेन्ट' (2021–30)** विद्या परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 16
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
17	प्रतिवेदित है कि एम.फिल. से पीएच.डी. में क्रमोन्नत किये गये अभ्यर्थियों के लिए M.Phil. to Ph.D. Promotion Form के साथ माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा अनुसार राशि रू. 2000/- (दो हजार रूपये) का शुल्क निर्धारण किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 17
निर्णय	**पुष्टि की गई।**

18	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा पूर्व में M.Phil व Ph.D. के शोधार्थियों को Covid-19 की परिस्थितियों के कारण शोध प्रबंध जमा हेतु 6 माह की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसे आदेश क्रमांक F.No.1-10/2020(CPP-II) दिनांक 1 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 30.06.2022 तक समयावधि और प्रदान की गई (संलग्न:2) । उसी के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भी अधिसूचना क्रमांक 1522–1528 दिनांक 22.12. 2021.के द्वारा सभी शोधार्थियों जिनकी शोध प्रबंध जमा करवाने के तिथि 30. 06.2022 तक बढ़ाई गई । पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 18
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
19	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशानुसार पीएच.डी. शोधार्थियों जिनकी शोध ग्रन्थ जमा करवाने की अंतिम तिथि 30.06.2022 थी, के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक No.F.1-10/2021(CPP-1) dated 17th May, 2022 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद की बैठक के समक्ष प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 19
निर्णय	**अंगीकृत किया गया।**
20	शोध अध्यादेश 101 के प्रावधानुसार विभिन्न कार्यो यथा नवीन शोध पर्यवेक्षण पंजीयन (Research Supervisor Registration Committee (RSRC) एवं शोध प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आयोजित बैठक में भाग लेने वाले **"रिसर्च बोर्ड"** सदस्यों को प्रति बैठक राशि रू. 2000/– मानदेय निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 20
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
21	पीएच.डी. के शोधार्थियों को मौखिक परीक्षा में बाहय परीक्षक तथा आन्तरिक परीक्षक की अनुशंसा पश्चात अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पूर्व में जारी किए जाने वाले अस्थाई प्रमाण पत्र में शोधार्थी द्वारा की गई पीएच.डी की उपाधि यूजीसी रेग्यूलेशन 2009/2016 के अनुसार है, का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण शोधार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ना है। अभ्यर्थियों को इसके लिए दुबारा से उक्त प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना पड़ता है। अतः पूर्व में जारी किए जाने वाले अस्थाई प्रमाण में परिवर्तन कर नया अस्थाई प्रमाण जिसमें शोध पर्यवेक्षक व सह शोध पर्यवेक्षक का नाम जोड़ना तथा शोधार्थी द्वारा की गई पीएच.डी की उपाधि यूजीसी रेग्यूलेशन 2009/2016 के अनुसार है । प्रारूप अुनमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 21
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

22	छात्रा ममता हिन्दी विषय की (एमपीसीईटी–2015) कोर्सवर्क उत्तीर्ण छात्रा है। छात्रा ने शोध पर्यवेक्षक परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया गया । परन्तु डॉ बबीता काजल ने इसकी सहमति नहीं दी। छात्रा ममता को डॉ. बबीता काजल के अधीन निर्धारित समय में शोध प्रारूप जमा करना था परन्तु पिताजी की बीमारी तत्पश्चात मृत्यु तथा छात्रा के स्वयं के तलाक के कारण शोध प्रारूप जमा नहीं करवा पाई। छात्रा ममता ने डॉ बबीता काजल द्वारा अग्रेषित शोध प्रस्ताव तथा पंजीकरण फीस 7500/–शोध कार्यालय में जमा करवा रखा है। छात्रा ममता ने एक मौका और देने हेतु निवेदन किया है। छात्रा ममता विषय–हिन्दी (एमपीसीईटी–2015) के पीएच.डी. में पंजीकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। परिशिष्ट : 22
निर्णय	विद्या परिषद् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही विद्या परिषद् द्वारा विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेते हुए शोध प्रस्ताव संबंधी प्रकरण जो वर्तमान समय तक लम्बित है, का निस्तारण दो माह की अवधि में करने का निर्णय लिया गया। विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त स्वीकृति को भविष्य में उदाहरण नहीं समझा जाए।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
(1)	विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।
(2)	विश्वविद्यालय स्तर पर केरियर काउन्सलिंग के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना एवं कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु संयोजक अध्ययन बोर्ड-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, चित्रकला एवं संगीत की समिति गठित करने की निर्णय लिया गया। उक्त समिति को आदेश जारी होने के 20 दिवस की अवधि में अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिस पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(यशपाल आहूजा)
सदस्य सचिव